

पं० ११  
२३/११/२०२१

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज०)

वादी	ब	प्रतिवादी
<u>पं० ११</u> <u>२३/११/२०२१</u>	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर १६०- / 2021 GCMS No. २०२१ / ८६५

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

२३/११/२०२१

वादी श्री पं० ११ पुत्र श्री ११/११  
जाति भुज निवासी मन्थली द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत मन्थली पंचायत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत २०७५-२०७६ ग्राम दिउयाल पटवार मण्डल पंचायत के खाता नम्बर १५,८३ मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि पं० ११ दर्ज है, जो अशुद्ध है।  
वादी का शुद्ध नाम पं० ११ है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. ६९५७०७२५ ५९३९ आधार नम्बर ६९५७०७२५ ५९३९ मतदाता पहचान पत्र ६९५७०७२५ ५९३९ अन्य दस्तावेज ६९५७०७२५ ५९३९ की छाया प्रति प्रस्तुत की है।  
इस संबंध में हल्का पटवारी पंचायत भू.अ.नि मन्थली एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।  
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

722-724

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )

